भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

262

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग0 4273-I/16

प्र0 क0 निगरानी   –एक / 16

श्री ... द्वारा आज दि. 21/12/16 को प्रस्तुत

21-12-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

21/12/16

हीरा सौर तनय मनसुख सौर
निवासी ग्राम नौरपारा तहसील
खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0

----निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– छन्नूलाल लोधी तनय बिन्द्रावन
2–बालचन्द्र तनय अमान लोधी
निवासी ग्राम मनपसार तहसील
खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0

----गैरनिगरानीकर्तागंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 2.7.15 पारित द्धारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ प्र0क0 11 / स्व0निग0 / 13–14से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी अंदर अवधि निम्न प्रकार पेश है ।

1– यह कि ग्राम पंचायत मनपसार द्धारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय बल्देवगढ द्धारा अपने प्रकरण क्रमांक 01 / अ–66 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.5.2013 के पालन में ग्राम मनपसार की भूमि खसरा न0 237 रकवा 0.454 हैक्टेयर मद आवादी का बंटन अनुविभागीय अधिकारी द्धारा स्वीकृत ले आउट एवं उसमें दी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4273-एक/2016 जिला टीकमगढ़ हीरा विरूद्ध छन्नूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीरजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 11/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-12-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 16.01.19
सदस्य